सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: नि0का0/एसएसए/आ0सुविधा/3865/2011-12 दिनांक: 02 नवम्बर, 2011

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 631/2004 एन्वायरमेन्टल एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटेक्सन फाउन्डेशन बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य के सम्बन्ध में शौचालयविहीन विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि0का0/एसएसए/आ0सुविधा/3715/2011-12 दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 631/2004 एन्वायरमेन्टल एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन फाउन्डेशन बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये है कि शौचालयविहीन विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाये।

2. उक्त सन्दर्भित पत्र के आधार पर वर्ष 2006 के बाद के सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्मित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय के निर्माण कार्य विद्यालय की इकाई लागत के साथ उपलब्ध धनराशि से पूरा कराया जाना है। वर्ष 2006 से पूर्व के ग्रामीण क्षेत्रों के शौचालयविहीन सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाना है।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त नगर क्षेत्र के शौचालयविहीन विद्यालयों के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि इन विद्यालयों में शौचालय का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य मद में आवंटित धनराशि की उपलब्ध बचत से इकाई लागत

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; [illegible]

रू0 24,000/- प्रति शौचालय की दर से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाये।

4. शौचालयविहीन विद्यालयों में शौचालयों की उपलब्धता का प्रमाण-पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये कि जनपद में कोई भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के) शौचालय विहीन नहीं रह गया है, जिससे मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से दिनांक 24.11.2011 के पूर्व प्रति-शपथपत्र के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके।

कृपया उपरोक्त विषय को वरीयता प्रदान करें।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0:नि0का0/एसएसए/आ0सुविधा/ 3865/2010-11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक